

3.5.18

पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय
 कोर्ट के डार 2018 के संवा में पेश हुई।
 चूंकि मूलवाद में निर्णय दिया जा
 चुका है कि इस आविदन में आगे
 की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं
 रहा। किंतु इस आविदन में आगे की
 कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त करके
 न्यायालय द्वारा जारी एग्रेस कोर्ट दि.
 13.4.17 को निरस्त किया जाता है।
 पत्रावली के सल सुमार होकर दायिजल
 यफर हो।

सहायक कलेक्टर
 * रोहतन *